राजकीय प्रयोजनार्थ

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(के0 के0 शर्मा, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2013
प्रविष्टि दिनांक 09 .07. 2013

सरकार जरिए तहसीलदार उनियारा

—प्रार्थी

बनाम

1— सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक
2— तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
3— ग्राम पंचायत मोहम्मदगढ़ पंचायत समिति अलीगढ़ जिला—टोंक

—प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

अभिशंषा

दिनांक 30.10.2019

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार उनियारा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 2:16 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील उनियारा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2022—2025 राजकीय सिवायचक भूमि गैर मुमकिन नाडी दर्ज थी। नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि जिसके हाल ख0न0 22 व 23 बने हैं को अवैधानिक रूप से सेटलमेंट द्वारा चरागाह दर्ज कर दिया जो वर्तमान में बीसलपुर विस्थापितों हेतु आरक्षित दर्ज है। तहसीलदार उनियारा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त अवैधानिक प्रवृष्टि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में भरे गये नामान्तरकरण सं0 31 दिनांक 6—2—1999 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षीगण की गई किन्तु प्रतिपक्षी सं0 3 उपस्थित नहीं हुए। बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

आज्ञा से
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

सूचना प्रयोजनार्थ

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 2:16 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाडी वाके ग्राम बिशनपुरा तहसील उनियारा दर्ज थी। नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि, जिसके हाल ख0न0 22 व 23 बने है, को अवैधानिक रूप से सेटलमेंट द्वारा चरागाह दर्ज कर दिया जो वर्तमान में बीसलपुर विस्थापितों हेतु आरक्षित दर्ज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में अवैध प्रविष्टि द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं0 31 दिनांक 6–2–1999 को आंशिक निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण मय अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित हाल खसरा नम्बर 22, 23 रकबा 2:16 बीघा साबिक खसरा नम्बर 26 से बना है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 में साबिक खसरा नम्बर 26 सिवायचक गैर मुमकिन नाडी दर्ज थी। पटवारी रिपोर्ट व हाल रिकार्ड अनुसार उक्त भूमि आराजी ख0 नं0 22 रकबा 0.34 है0 व ख0 नं0 267/23 रकबा 0.26 है0 भूमि बीसलपुर परियोजना विस्थापितों को आवण्टन हेतु आरक्षित खातेदारी में दर्ज है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। तहसीलदार उनियारा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि भूमि आराजी ख0 नं0 26 रकबा 2:16 बीघा व हाल ख0नं0 22 रकबा 0.34 है0 व ख0 नं0 267/23 रकबा 0.26 है0 भूमि बीसलपुर परियोजना विस्थापितों को आवण्टन हेतु आरक्षित खातेदारी का नामान्तकरण सं0 31 में से आंशिक रूप से खारिज कर साबिक आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2:16 बीघा व हाल ख0नं0 22 रकबा 0.34 है0 व ख0 नं0 267/23 रकबा 0.26 है0 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा तह0 उनियारा जिला–टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाडी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के0के0 शर्मा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आज्ञा से
सत्य प्रतिलिपि
रीडर
जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.12.27 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: